

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226712
SG-DL-E-22042021-226712

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2021/चैत्र 30, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15
No. 02]	DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/Chaitra 30, 1943	[N. C. T. D. No. 15

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र

रूपरेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2021

एफ.3(600)/टैरिफ-वित्त./डीईआरसी/2019-20/6705/061.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 61(एच), 66 और 86(1)(ई) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, पिछले प्रकाशन के बाद, एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) रूपरेखा को लागू करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाए हैं।

भाग 1**प्रारंभिक****1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभन और विस्तार**

(क) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूपरेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2021 के नाम से कहा जाए।

(ख) ये विनियम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे:

बशर्ते कि 01/04/2017 से लेकर 31/03/2020 तक की अवधि के लिए, आरपीओ का लक्ष्य लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस (एलटीओए) और मीडियम टर्म ओपन एक्सेस (एमटीओए) उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्य के समान होगा जैसा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूपरेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2012 में निर्दिष्ट है:

बशर्ते यह कि एलटीओए / एमटीओए के लिए उपर्युक्त मध्यवर्ती अवधि हेतु संचयी लक्ष्यों का अनुपालन इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से दो वर्षों तक इन्हीं संस्थाओं द्वारा ही किया जाएगा।

(ग) ये सभी विनियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे।

(घ) ये सभी विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं पर लागू होंगे:

(i) सभी वितरण लाइसेंसधारी;

(ii) कोई भी सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर), जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा 1 मेगावाट से अधिक का उपयोग कर रहा है; तथा,

(iii) कोई भी मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंस्यूमर) जिसकी अनुबंध मांग 1 मेगावाट से अधिक है और उसके पास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत मौजूद है।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिकृत संस्था" से अभिप्राय है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में कार्यरत संस्थाएं, जोकि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु समय-समय पर संशोधित किया जाता है;

(ख) "अधिनियम" से अभिप्राय है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की अधिनियम सं. 36) तथा उसके बाद किए गए संशोधन (संशोधनों) से है;

(ग) "आपूर्ति क्षेत्र" से अभिप्राय है, वह क्षेत्र (क्षेत्रों) जिसके अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है;

(घ) "सीमित (कैप्टिव) उत्पादन संयंत्र" का वही अर्थ होगा जो विद्युत नियमों 2005 के साथ पठित अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है;

(ङ) "सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर)" से अभिप्राय है, सीमित (कैप्टिव) उत्पादन संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंतिम उपयोगकर्ता तथा सीमित (कैप्टिव) शब्द का उपयोग तदनुसार ही किया जाएगा;

- (च) "केंद्रीय एजेंसी" का तात्पर्य उस एजेंसी से है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित होने वाले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 के अंतर्गत समय-समय पर केंद्रीय आयोग द्वारा नियुक्त किया जा सकता है;
- (छ) "केंद्रीय आयोग" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 76 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी);
- (ज) "प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी), जिसे केंद्रीय एजेंसी द्वारा समय-समय पर संशोधित होने वाले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नियत प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाता है;
- (झ) "आयोग" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में उल्लिखित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी);
- (ञ) "उपभोग" से अभिप्राय,
वितरण लाइसेंसधारी की स्थिति में, संपूर्ण वर्ष में उपभोक्ताओं को बेची गई / पारेषण एवं वितरण हानि को छोड़कर, जल विद्युत (हाइड्रो) क्रय को घटाने के बाद कुल ऊर्जा (विनियम 4(2)(अ) के अंतर्गत निर्धारित एलएचपी को हटाया नहीं जाएगा)
मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स) की स्थिति में, वर्ष के दौरान जल विद्युत क्रय को घटाने के बाद संपूर्ण वर्ष हेतु मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई कुल ऊर्जा।"
- (ट) "वितरण लाइसेंसधारी" से अभिप्राय एक ऐसा लाइसेंसधारी है जो उसके क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली को संचालित करने और बनाए रखने के लिए अधिकृत है;
- (ठ) "अंतर-संपर्क बिंदु" से अभिप्राय है, पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का इंटरफ़ेस बिंदु, जो भी स्थिति हो;
- (ड) "न्यूनतम मूल्य" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित होने वाले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 में परिभाषित किया गया है;
- (ढ) "सहिष्णुता मूल्य" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित होने वाले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 में परिभाषित किया गया है;
- (ण) "एमएनआरई" का तात्पर्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से है;
- (त) "बाध्यकारी कंपनी/संस्था" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद वितरण लाइसेंसधारी, सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर), मुक्त पहुंच उपभोक्ता अथवा कोई अन्य संस्था, जो नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूर्ण करने के लिए आज्ञापित है, जिसे समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;
- (थ) "मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंज्यूमर)" से अभिप्राय उस उपभोक्ता से है, जिसे समय-समय पर संशोधित होने वाले डीईआरसी (ओपन एक्सेस हेतु नियम एवं शर्तों) विनियम, 2005 तथा ओपन एक्सेस विनियमों के तहत जारी किए गए आदेशों के अनुसार उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति है।

- (द) "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (49) के अंतर्गत परिभाषित है;
- (ध) "पावर एक्सचेंज" से अभिप्राय सीईआरसी (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत एक्सचेंज से है अथवा जैसा भी समय-समय पर संशोधित किया जाता है;
- (न) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" से अभिप्राय नवीकरणीय स्रोतों से हैं जैसे कि, विनियम 4(2)(अ) में निर्दिष्ट बड़े जल विद्युत, लघु जल विद्युत, वायु, सौर जिनमें संयुक्त साइकल सहित इसका समेकन भी शामिल है, जैव-ईंधन, जैव ईंधन सह-उत्पादन, शहरी अथवा महानगरीय अपशिष्ट पदार्थों तथा ऐसे ही अन्य स्रोत जिन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी या आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है;
- (प) "नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)" से अभिप्राय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदने के लिए बाध्यकारी कंपनी/संस्था हेतु अधिनियम की धारा 86(1)(ई) के तहत इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्यता से है;
- (फ) "राज्य नोडल एजेंसी" से अभिप्राय ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईईआरएम एंड सी) अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने वाली उस एजेंसी से है, जिसे इन विनियमों के विनियम 6 के अंतर्गत आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है।
- (ब) "राज्य" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है।
- (भ) "टैरिफ" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 के अंतर्गत अंगीकृत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन हेतु प्रासंगिक विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ से है;
- (म) "वर्ष" का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है अर्थात् 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक।

3. व्याख्या

- (क) इन विनियमों की इस तरीके से व्याख्या की जाएगी तथा इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा कि यह अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के विरुद्ध न हो।
- (ख) जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, तब तक इन विनियमों में प्रयोग किए गए सभी शब्द अथवा वाक्यांश तथा जो भी यहां परिभाषित नहीं है, लेकिन आयोग द्वारा जारी किए गए अधिनियम या विनियमों में परिभाषित किए गए हैं, उन सभी का वही अर्थ होगा, जो उनके विषय में आयोग द्वारा जारी किए गए अधिनियम या ऐसे विनियमों में नियत किया गया है।

भाग 2

सामान्य

4. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)

- (1) प्रत्येक बाध्यकारी कंपनी/संस्था नवीकरणीय क्रय दायित्व के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुल उपभोग के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत की पूर्ति करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय करेगी, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है –

तालिका 1: बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं हेतु आरपीओ लक्ष्य

क्र. सं.	विवरण	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23	
1.	गैर-सौर	अन्य गैर सौर आरपीओ	10.25%	10.25%	10.50%
		एचपीओ (केवल वितरण लाइसेंसधारी हेतु उपयुक्त)	-	0.18%	0.35%
2.	सौर		7.25%	8.75%	
	कुल		17.50%	19.18%	

बशर्ते कि वित्त वर्ष 2022-23 हेतु बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं के लिए निर्दिष्ट किए गए लक्ष्य वित्त वर्ष 2022-23 के बाद भी जारी रहेंगे, जब तक कि आयोग द्वारा अलग से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

(2) वितरण लाइसेंसधारियों के जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) लक्ष्यों को निम्नलिखित तरीकों से पूर्ण किया जाएगा:

- क. एचपीओ लाभ, योग्य एलएचपी (> 25 मेगावाट) जिनमें पम्पड स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी आरंभ होने की तिथि 08/03/2019 या इसके बाद तथा 31/03/2030 तक है (12 वर्षों की अवधि में कुल उत्पादित ऊर्जा की 70% क्षमता तक) के माध्यम से प्राप्त उपार्जित ऊर्जा से किए जा सकते हैं।
- ख. इसके अतिरिक्त एचपीओ के अनुपालन को सुविधा प्रदान करने के लिए, जल विद्युत ऊर्जा प्रमाणपत्र क्रियाविधि के रूप में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, उपलब्ध होने पर उपयोग की जाएगी।
- ग. एचपीओ ट्रेडिंजी का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाएगा, जो जल विद्युत परियोजनाओं के आरंभ की संशोधित समय-सारणी पर निर्भर करता है।
- घ. एचपीओ को पूरा करने के लिए भारत के बाहर से आयात की गई जल विद्युत ऊर्जा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) बाध्यकारी कंपनी/संस्था, सौर एवं गैर-सौर आरपीओ लक्ष्यों का अनुपालन सौर ऊर्जा और गैर-सौर ऊर्जा की क्रय के माध्यम से अलग से करेंगे (ऊर्जा के लघु जल स्रोतों तथा एचपीओ को पूरा करने हेतु निर्धारित एलएचपी के अलावा जल से खपत को पूरा करने को छोड़कर):

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रय का ऐसा दायित्व, यदि कोई हो, तो वह संबंधित बाध्यकारी कंपनी/संस्था द्वारा पहले से ही निर्मित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किए गए क्रय का समावेशी होगा:

बशर्ते कि यदि सौर आरपीओ अनुकूलता की प्राप्ति उपर्युक्त उप-विनियम(1) में निर्दिष्ट 85% और उससे अधिक की सीमा तक होती है, तो शेष कमी, यदि कोई हो, तो इसे उस विशिष्ट वर्ष हेतु गैर-सौर आरपीओ के अलावा, उपभोग की गई अतिरिक्त गैर-सौर ऊर्जा / गैर-सौर आरईसी क्रय से पूरा किया जा सकता है।

बशर्ते कि यदि अन्य गैर-सौर आरपीओ अनुकूलता की प्राप्ति उपर्युक्त उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट 85% और उससे अधिक की सीमा तक होती है, तो शेष कमी, यदि कोई हो, तो इसे उस विशिष्ट वर्ष हेतु सौर आरपीओ या एचपीओ के अलावा, उपभोग की गई अतिरिक्त सौर ऊर्जा / सौर आरईसी / उपयुक्त जल विद्युत ऊर्जा की क्रय से पूरा किया जा सकता है।

बशर्ते कि, एचपीओ अनुकूलता की प्राप्ति 85% सीमा तक और उससे अधिक होने पर, शेष कमी, यदि कोई हो, तो इसे उस विशिष्ट वर्ष हेतु सौर आरपीओ या अन्य गैर-सौर आरपीओ के अलावा, उपभोग की गई अतिरिक्त सौर या अन्य गैर-सौर ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है।

बशर्ते कि बाध्यकारी कंपनी/संस्था प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने की तिथि से तीन महीनों के भीतर किसी भी वित्तीय वर्ष हेतु अपने कुल आरपीओ लक्ष्यों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या आरईसी अथवा दोनों के संयोजन से ऊर्जा क्रय कर सकती हैं।

5. अनुपालन हेतु अन्य शर्तें

- (1) समय-समय पर संशोधित होने वाले सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अंतर्गत आरईसी को जारी करने हेतु पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर उत्पादन स्टेशन(नों) से ऊर्जा क्रय बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं के आरपीओ के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगी:

बशर्ते कि आरई जनरेटर से बिजली की क्रय के लिए, बाध्यकारी कंपनी/संस्था राज्य नोडल एजेंसी के समक्ष एक प्रमाणपत्र (अंडर टेकिंग) प्रस्तुत करेगी कि समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अंतर्गत आरईसी को जारी करने के लिए इस ऊर्जा के नवीकरणीय घटकों पर कोई दावा नहीं किया गया है।

- (2) समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले डीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु नेट मीटरिंग) विनियम, 2014 अथवा समय-समय पर संशोधित की जाने वाली दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2016 के अंतर्गत उपयुक्त बाध्यकारी कंपनी/संस्था के अलावा नेट मीटरिंग, ग्राहक द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी हेतु नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के योग्य होगा।
- (3) वितरण लाइसेंसधारी, राज्य में मौजूद सभी अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से सभी स्रोतों से ऊर्जा के उनके उपार्जन के अनुपात अथवा जैसा भी समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, में उत्पादित ऊर्जा की 100% क्रय करेगा।
- (4) कोयला / लिग्नाइट उत्पादन स्टेशनों से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों से बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा उपार्जित नवीकरणीय ऊर्जा का निर्धारण आरपीओ के अनुपालन के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सीमा ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन से प्राप्त ऊर्जा उपार्जन तक होगी।
- (5) वितरण लाइसेंसधारी क्षमता परिवर्धन, उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों एवं आरईसी क्रय से विद्युत की क्रय के आधार पर मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स) एवं सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) के आरपीओ अनुपालन स्तरों सहित अपनी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा प्रगति रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा।

6. राज्य नोडल एजेंसी

- (1) राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, जैसे कि –

क) आरईसी तंत्र के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मान्यता प्रदान करना और इसकी सिफारिश करना; तथा यह समय-समय पर संशोधित होने वाले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने एवं उसे जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन हेतु केंद्रीय एजेंसी द्वारा लागू प्रक्रियाओं / नियमों के अनुसार कार्य करेगी;

ख) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों, बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं, राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) या कोई अन्य एजेंसी जैसे विभिन्न स्रोतों से नियमित आधार पर सूचना एकत्र करने हेतु उपयुक्त प्रोटोकॉल का विकास करेगी और ऐसी बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के परिकलन के लिए ऐसी सूचना का संकलन करेगी;

- ग) विभिन्न बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं के नवीकरणीय ऊर्जा प्रापण तथा आरपीओ अनुपालन का मासिक विवरण प्रत्येक माह संचयी आधार पर अगले माह के 25वें दिन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी;
- घ) बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के संबंध में अगले माह के 25वें दिन तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राज्य नोडल एजेंसी इन विनियमों के जारी होने के एक महीने के भीतर प्रारूपों को विकसित करेगी तथा आयोग से अनुमोदित करवाएगी;
- ङ) आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य का भी निर्वहन करेगी।
- (2) राज्य नोडल एजेंसी आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।
- (3) आयोग, राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित होने वाली किसी एजेंसी की तकनीकी और वित्तीय क्षमता के आधार पर योग्यता मानदंड निर्दिष्ट कर सकती है।
- (4) आयोग राज्य नोडल एजेंसी को अपने कार्यों को करने के लिए देय पारिश्रमिक और प्रभारों का निर्धारण करेगा और वितरण लाइसेंसधारियों के अलावा अधिकृत संस्थाओं और बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं से इनकी वसूली भी की जाएगी।
- (5) यदि आयोग यह समझता है कि राज्य नोडल एजेंसी अपने कार्यों को संतोषजनक रूप से पूरा करने में अक्षम है, तो वह आदेश द्वारा, और कारणों को लिखित में दर्ज करने के बाद, राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु अन्य उपयुक्त एजेंसी को नियुक्त कर सकता है।

7. मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंस्यूमर):

- (1) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने वाले सभी मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं (ओपन एक्सेस कंस्यूमर्स) को आरपीओ अनुपालन के भाग की सीमा तक व्हीलिंग, पारेषण, क्रॉस सब्सिडी प्रभार और अतिरिक्त प्रभार से छूट दी जाएगी:
- बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले जेनरेटर्स बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं के समक्ष इस बात का प्रमाण प्रदान करेंगे कि इस ऊर्जा के प्रति कोई आरईसी / आरपीओ दावा नहीं किया गया है।
- बशर्ते इसके अलावा कि आरपीओ अनुपालन की मात्रा केवल ओपन एक्सेस चार्जिज की गणना हेतु गैर-बाध्य मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं के लिए भी की जाएगी।
- (2) प्रत्येक मुक्त पहुंच उपभोक्ता इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर आरपीओ के पालन हेतु विद्युत की कुल खपत तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत की क्रय के संदर्भ में वितरण लाइसेंसधारी को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा:
- बशर्ते कि कोई भी मौजूदा मुक्त पहुंच उपभोक्ता किसी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्रस्तुत करेगा।
- (3) वितरण लाइसेंसधारी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु बैंक गारंटी (बीजी) अथवा सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की मान्यता की गणना के उद्देश्यार्थ मुक्त पहुंच उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अनुमानों को ध्यान में रखेगा:
- बशर्ते कि बीजी / एफडीआर की मान्यता पिछले तीन महीनों पर आधारित संबंधित स्रोतों के न्यूनतम मूल्य और सहिष्णुता मूल्य का औसत होगी:
- बशर्ते कि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद का मूल्य मुक्त पहुंच उपभोक्ता से अनुमानों की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर मुक्त पहुंच उपभोक्ता को सूचित की जाएगी।
- (4) मुक्त पहुंच उपभोक्ता, मीटरिंग की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट जारी होने से पूर्व वितरण लाइसेंसधारियों के समक्ष बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि इन विनियमों की व्यवहारिकता की तिथि पर मौजूदा मुक्त पहुंच उपभोक्ता बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के मूल्य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि यदि मुक्त पहुंच उपभोक्ता वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को ओपन एक्सेस के अधीन हो, तो मुक्त पहुंच उपभोक्ता प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु अलग से बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करेगा:

- (5) बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि से तीन महीनों तक मान्य होगी।
- (6) मुक्त पहुंच उपभोक्ता प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि से दो (2) महीनों के भीतर अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के समक्ष आरपीओ अनुपालन के मिलान का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (7) मुक्त पहुंच उपभोक्ता के आरपीओ अनुपालन की आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के लिए न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को नगदी में परिवर्तित कर लेगा:

बशर्ते कि मुक्त पहुंच उपभोक्ता आरपीओ अनुपालन का विवरण राज्य नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगा जो आरपीओ की आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति को प्रमाणित करेगा, ताकि वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के लिए न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को नगदी में परिवर्तित कर लेगा:

बशर्ते कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन की न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों हेतु वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी क्रय के लिए आवश्यक राशि से अधिक है, तो वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद की शेष राशि को उन्मुक्त कर देगा:

बशर्ते कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन की न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों हेतु वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी क्रय के लिए आवश्यक राशि से कम होती है, तो वितरण लाइसेंसधारी शेष राशि को आगामी बिल में शामिल करेगा:

- (8) मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंस्यूमर) के आरपीओ अनुपालन की पूर्ति की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को जारी कर देगा:

बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जारी करने में विफल होता है, तो वितरण लाइसेंसधारी की ओर से की गई देरी के लिए बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की राशि पर प्रति माह 1.0% की दर से ब्याज देय होगा।

- (9) वितरण लाइसेंसधारी, बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) और शेष राशि, यदि कोई हो, जो मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंस्यूमर) के माध्यम से वसूली गई है, के नगदीकरण पर वसूली गई राशि से मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं (ओपन एक्सेस कंस्यूमर्स) द्वारा मिलान विवरण की प्राप्ति होने के 30 दिनों के भीतर आरईसी क्रय करेगा।

8. सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूजर)

- (1) प्रत्येक सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूजर), इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर आरपीओ की पूर्ति हेतु सीमित उत्पादन से विद्युत की कुल खपत और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की क्रय के संदर्भ में आवश्यक विवरणों को प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि यदि कोई आवेदक किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सीमित उपयोग की घोषणा करता है, तो उसे सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) की घोषणा के 15 दिनों के भीतर अनुमानों को प्रस्तुत करना होगा।

बशर्ते इसके अलावा कि वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को मौजूदा सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक के प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानों को प्रस्तुत करना होगा।

- (2) वितरण लाइसेंसधारी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु बैंक गारंटी (बीजी) या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की मान्यता की गणना के उद्देश्यार्थ सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) द्वारा प्रस्तुत अनुमानों को ध्यान में रखेगा:

बशर्ते कि बीजी/ एफडीआर की मान्यता पिछले तीन महीनों के आधार पर संबंधित स्रोतों के न्यूनतम मूल्य और सहिष्णुता मूल्य का औसत होगी:

बशर्ते कि सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) से अनुमानों की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद के मूल्य के बारे में सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) को सूचित किया जाएगा।

- (3) सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर), प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के समक्ष बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) इन विनियमों की व्यावहारिकता की तिथि पर अथवा वह व्यक्ति जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान सीमित उपयोग की घोषणा करता है, वह बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के मूल्य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को प्रस्तुत करेगा।

- (4) बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि से तीन महीनों तक वैध होगी।

- (5) सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि से दो (2) महीनों के भीतर अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के समक्ष मिलान हेतु आरपीओ अनुपालन के विवरणों को प्रस्तुत करेगा।

- (6) सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) के आरपीओ अनुपालन की आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के लिए न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों के बराबर की राशि हेतु बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को नगदी में परिवर्तित कर लेगा:

बशर्ते कि सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) आरपीओ अनुपालन के विवरणों को राज्य नोडल एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो आरपीओ की आंशिक पूर्ति या गैर-पूर्ति को प्रमाणित करेगा, ताकि वितरण लाइसेंसधारी को आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के लिए न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों के बराबर की राशि हेतु बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को नगदी में परिवर्तित कर लेगा।

बशर्ते कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन की दिशा में न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों हेतु वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी क्रय के लिए आवश्यक राशि से अधिक होती है, तो वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद की शेष राशि को उन्मुक्त कर देगा:

बशर्ते कि यदि बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन की न्यूनता (शॉर्टफॉल) इकाइयों हेतु वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी क्रय के लिए आवश्यक राशि से कम होती है, तो वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद की शेष राशि को आगामी बिल में शामिल करेगा:

- (7) सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूसर) के आरपीओ अनुपालन की पूर्ति की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी आरपीओ अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को नगदी में परिवर्तित कर लेगा:

बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जारी करने में विफल होता है, तो वितरण लाइसेंसधारी की ओर से की गई देरी के लिए जारी की जाने वाली बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की राशि पर प्रति माह 1.0% की दर से ब्याज देय होगा।

- (8) वितरण लाइसेंसधारी, बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) और शेष राशि, यदि कोई हो, के माध्यम से सीमित उपयोगकर्ता (कैप्टिव यूजर) द्वारा मिलान विवरण की प्राप्ति होने के 30 दिनों के भीतर आरईसी क्रय करेगा।

9. वितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों)

- (1) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उसके आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्ययित लागत की वसूली लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) से करने की अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते कि विद्युत की भौतिक क्रय के बाद आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए इकाइयों की न्यूनता होने पर वितरण लाइसेंसधारी को न्यूनतम मूल्य पर आरईसी लागत की अनुमति प्रदान की जा सकती है। हालांकि, यदि न्यूनतम मूल्य शून्य है, आरईसी लागत की अनुमति उन इकाइयों की न्यूनता की स्थिति में जिनका सत्यापन बाद में किया जाना है, न्यूनतम मूल्य और सहिष्णुता मूल्य के औसत पर की जा सकती है, जैसा कि सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया गया है।

- (2) वितरण लाइसेंसधारी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि से वार्षिक रूप में तीन महीनों के भीतर अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं से विद्युत की कुल बिक्री तथा आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की क्रय से संबंधित आवश्यक विवरणों को राज्य नोडल एजेंसी और आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

- (3) वितरण लाइसेंसधारी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि से वार्षिक रूप में तीन महीनों के भीतर अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं से विद्युत की कुल बिक्री तथा आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की क्रय, अपने विशिष्ट आपूर्ति क्षेत्र की अन्य बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं के संदर्भ में बीजी / एफडीआर इत्यादि के माध्यम से आरपीओ के अनुपालन से संबंधित आवश्यक विवरणों को भी राज्य नोडल एजेंसी और आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

10. आरपीओ अनुपालन हेतु अधिशेष / न्यूनता (शॉर्टफॉल) का प्रशोधन

- (1) आरईसी की अनुपलब्धता अथवा रूके हुए (टाइड-अप) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों इत्यादि में देरी के कारण नवीकरणीय क्रय दायित्व के लक्ष्यों के अनुपालन में वास्तविक कठिनाई की स्थिति में, बाध्यकारी कंपनी/संस्था आगामी वर्ष(वर्षों) में आरपीओ अनुपालन को आगे बढ़ाने के लिए आयोग के समक्ष याचिका दायर करेगी।

11. नवीकरणीय ऊर्जा का मूल्य निर्धारण

- (1) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में विकल्प होंगे, या तो टैरिफ मूल्य निर्धारण संरचना को अपनाना अथवा इस परियोजना से सृजित बिजली के मूल्य निर्धारण हेतु आरईसी कार्य प्रणाली को अपनाना।
- (2) उपरोक्त उप-विनियमन (1) के अंतर्गत टैरिफ के विकल्प का चयन करने वाली परियोजनाओं को विद्युत क्रय अनुबंध की अवधि के समाप्त होने तक समान टैरिफ मूल्य निर्धारण संरचना को ही जारी रखना होगा।
- (3) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना वितरण लाइसेंसधारी अथवा मुक्त पहुंच उपभोक्ता (ओपन एक्सेस कंस्यूमर), जैसा भी मामला हो, से विद्युत क्रय करार करने से पहले उपयुक्त मूल्य निर्धारण तंत्र का चयन अपनी पसंद से कर सकती है।

12. आरपीओ के गैर-अनुपालन हेतु जुर्माना

- (1) किसी बाध्यकारी कंपनी/संस्था द्वारा एचपीओ लक्ष्यों के अलावा, आरपीओ लक्ष्यों का गैर-अनुपालन करने की स्थिति में, आरपीओ में न्यूनता (शॉर्टफॉल) के भाग हेतु संबंधित वर्ष में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्दिष्ट सौर तथा गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के भारित औसतन न्यूनतम मूल्य का

10% की दर से जुर्माना आरोपित होगा। यदि, संबंधित वर्ष हेतु सीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य शून्य है, तो आरपीओ में न्यूनता (शॉर्टफॉल) के भाग हेतु सीईआरसी के निर्धारणानुसार सौर तथा गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा के भारित औसतन सहिष्णुता मूल्य का 10% की दर से जुर्माना आरोपित होगा।

बशर्ते कि आरपीओ लक्ष्यों के गैर-अनुपालन के फलस्वरूप वितरण लाइसेंसधारी पर लगाए गए जुर्माने की राशि को डीईआरसी (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियमन, 2017 के विनियम 124 के संदर्भ में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के सत्यापन के दौरान एआरआर से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि प्रासंगिक वर्ष हेतु बाध्यकारी मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स) पर लगाई जाने वाली जुर्माने की राशि की गणना एसएनए द्वारा की जाएगी तथा इसे वितरण लाइसेंसधारी को संप्रेषित किया जाएगा, इसके साथ ही इसकी एक प्रति आयोग को भी भेजी जाएगी। वितरण लाइसेंसधारी ऐसी दंडात्मक राशि को मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स) के विद्युत बिल में जोड़ देगा।

बशर्ते कि प्रासंगिक वर्ष हेतु शेष बाध्यकारी कंपनियों/संस्थाओं पर लगाई जाने वाली जुर्माने की राशि की गणना एसएनए द्वारा की जाएगी तथा इसकी वसूली हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कि निपटान आयोग द्वारा मामलों के आधार पर किया जाएगा।

भाग 3

विविध

13. **छूट की शक्ति:** आयोग सार्वजनिक हित में तथा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, स्वयं के प्रस्ताव अथवा किसी व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर छूट प्रदान कर सकता है।
14. **संशोधन की शक्ति:** आयोग इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में समय-समय पर जोड़, फेर-बदल, परिवर्तन, निलंबन, आशोधन, संशोधन अथवा निरसन कर सकते हैं।
15. **कठिनाइयों को समाप्त करने की शक्ति:**
 - (1) इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में आने वाली किसी कठिनाई के मामले में आयोग किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी बाध्यकारी कंपनी/संस्था या उत्पादन कंपनी को उचित कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो आयोग को इस कठिनाई को समाप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या व्यावहारिक प्रतीत होते हों।
 - (2) कोई अधिकृत संस्था और बाध्यकारी कंपनी/संस्था इस आयोग से आवेदन कर सकते हैं और इन विनियमों को लागू करने में आने वाले किसी कठिनाई को समाप्त करने के लिए उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकते हैं।
16. **निरसन और बचाव**
 - (1) इन विनियमों में अन्यत्र दिए गए रूप में, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूपरेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2012 इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से निरस्त हो जाएगा।
 - (2) इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त विनियमों के तहत कुछ भी किया गया या इन विनियमों के अंतर्गत तथाकथित किया गया, कुछ भी इन विनियमों के अंतर्गत किया गया या तथाकथित किया गया समझा जाएगा।
 - (3) इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे न्याय करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे आदेश देने के लिए इस आयोग की मूलभूत शक्ति सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित होती है।
 - (4) यदि आयोग मामले कि विशेष परिस्थिति अथवा मामलों की श्रेणी के मद्देनजर और लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों हेतु ऐसे मामले अथवा मामलों की श्रेणी पर कार्रवाई करने हेतु आवश्यक अथवा व्यावहारिक समझता

हो तो इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का 36) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न हो, को अपनाने में बाधा आएगी।

- (5) इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे आयोग को स्पष्ट रूप से अथवा अंतर्निहित रूप से किसी मामले पर कार्रवाई करने अथवा विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का 36) के तहत किसी शक्ति का उपयोग करने में बाधा आती हो, जिसके लिए कोई विनियम तैयार नहीं किए गए हैं और यह आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों, कार्यों के संबंध में, जैसा वह उचित समझता है, कार्रवाई कर सकता है।

मुकेश वाधवा, सचिव, डीईआरसी

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 13th April, 2021

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION AND RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE FRAMEWORK IMPLEMENTATION) REGULATIONS, 2021

F. 3(600)/Tariff-Fin./DERC/2019-20/6705/061.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 61(h), 66 and 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission after previous publication hereby makes the following Regulations for the Renewable Purchase Obligation (RPO) and Renewable Energy Certificate (REC) Framework Implementation in the National Capital Territory of Delhi.

PART 1

PRELIMINARY

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT

- (1) These Regulations shall be called the *Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021*.

- (2) These Regulations shall come into force from the date of notification:

Provided that for the period from 01/04/2017 to 31/03/2020, the RPO targets for Long Term Open Access (LTOA) and Medium Term Open Access (MTOA) Consumers shall be same as the target of FY 2016-17 as specified in *Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2012*:

Provided further that the compliance of cumulative targets for the above mentioned intervening period for LTOA/MTOA shall be met by such entities within two years from the date of notification of these Regulations.

- (3) These Regulations shall extend to whole of National Capital Territory of Delhi.
- (4) These Regulations shall apply to the following Obligated Entities in the National Capital Territory of Delhi:
- Distribution Licensees;
 - Any Captive user, using other than Renewable Energy Sources exceeding 1 MW; and,
 - Any Open Access Consumer having contract demand exceeding 1 MW and sourcing power from other than Renewable Sources of Energy.

2. DEFINITIONS

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- “Accredited Entities” means entities engaged in generation of electricity from Renewable Energy Sources registered under *Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010*, as amended from time to time, for issuance of Renewable Energy Certificates;
- “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and subsequent amendment(s) thereof;
- “Area of Supply” means the area(s) within which the Distribution Licensee is authorized to supply electricity;
- “Captive Generating Plant” shall have the same meaning as defined in the Act read with the Electricity

Rules 2005 as amended from time to time;

- (5) "Captive user" shall mean the end user of electricity generated in a Captive Generating Plant and the term captive use shall be construed accordingly;
- (6) "Central Agency" means the agency, as the Central Commission may designate from time to time, under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time;
- (7) "Central Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
- (8) "Certificate" means the Renewable Energy Certificate (REC) issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed under the provisions specified in the *Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010* as amended from time to time;
- (9) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) as referred in subsection (1) of Section 82 of the Act;
- (10) "Consumption" means -
In case of Distribution Licensees as the total energy sold to consumers / excluding Transmission & Distribution Loss for the whole year after subtracting the Hydro Power purchase during the year (not excluding the LHPs considered under Regulation 4(2)(a)).
In case of Open Access consumers as the total energy recorded by the meter for the whole year after subtracting the Hydro Power purchase during the year."
- (11) "Distribution Licensee" means a Licensee authorised to operate and maintain a Distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;
- (12) "Inter-connection point" shall mean the interface point of the Renewable Energy Project with the Transmission system or Distribution system as the case may be;
- (13) "Floor Price" shall have the same meaning as defined in the *Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010*, as amended from time to time;
- (14) "Forbearance Price" shall have the same meaning as defined in the *Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations 2010* as amended from time to time;
- (15) "MNRE" means the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;
- (16) "Obligated Entity" means the Distribution Licensee, Captive user, Open Access Consumer or any other entity in the National Capital Territory of Delhi, which is mandated to fulfill Renewable Purchase Obligation as may be notified by the Commission from time to time;
- (17) "Open Access Consumer" means a consumer permitted to receive supply of electricity from a person, other than Distribution Licensee of his area of supply as per *DERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005* as amended from time to time and the applicable Orders issued under the Open Access Regulations;
- (18) "Person" shall have the same meaning as defined under sub section (49) of Section 2 of the Act;
- (19) "Power Exchange" means exchange registered under CERC (Power Market) Regulations, 2010 or as amended from time to time;
- (20) "Renewable Energy Sources" means Renewable Sources such as large hydro as specified under Regulation 4(2)(a), small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste and/or such other source(s) recognized by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) or any other agency as notified by Government of India or the Commission;
- (21) "Renewable Purchase Obligation (RPO)" means the requirement as specified under these Regulations as per Section 86(1)(e) of the Act for the Obligated Entity to purchase electricity from Renewable Energy Sources;
- (22) "State Nodal Agency" means the Energy Efficiency & Renewable Energy Management Centre (EERM&C) or the agency so designated by the Commission under Regulation 6 of these Regulations to act as the agency to undertake the functions as specified in these Regulations in the National Capital Territory of Delhi;

- (23) “State” means the National Capital Territory of Delhi.
- (24) “Tariff” means the tariff fixed by the Commission as per relevant Regulations for generation from various Renewable Energy Sources under Section 62 or adopted under Section 63 of the Act;
- (25) “Year” means a financial year i.e. from 1st April to 31st March.

3. INTERPRETATIONS

- (1) These Regulations shall be interpreted and implemented in a manner not inconsistent with the provisions of the Act, Rules and Regulations made thereunder.
- (2) Unless the context otherwise requires, the words or expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or the Regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such Regulations issued by the Commission.

PART 2

GENERAL

4. RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION (RPO)

- (1) Every Obligated Entity shall purchase electricity from Renewable Energy Sources for fulfilment of a defined minimum percentage of the total consumption during the year, under the Renewable Purchase Obligation, as specified below –

Table 1: RPO Targets for Obligated Entities

Sr. No.	Particulars		FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23
1.	Non-Solar	Other Non Solar RPO	10.25%	10.25%	10.50%
		HPO (applicable only for Distribution Licensees)	-	0.18%	0.35%
2.	Solar		7.25%	8.75%	10.50%
Total			17.50%	19.18%	21.35%

Provided further that the targets specified for Obligated Entities for FY 2022-23 shall be continued beyond FY 2022-23 unless specified by the Commission separately.

- (2) The Hydro Purchase Obligation (HPO) Targets for Distribution Licensees shall be fulfilled in the following manner:
- HPO benefits may be met from the power procured from eligible LHPs (> 25 MW) including pumped storage projects commissioned on and after 08/03/2019 and upto 31/03/2030 in respect of 70% of the total generated capacity for a period of 12 years from the date of commissioning.
 - Further to facilitate compliance of HPO, Hydro Energy Certificate mechanism as available to be utilised by Distribution Licensees.
 - The HPO Trajectory shall be trued up on an annual basis depending on the revised commissioning schedule of Hydro projects.
 - Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO.
- (3) The Obligated Entity shall comply with its RPO targets separately for Solar & Non-Solar, excluding consumption met from hydro other than small hydro sources of power and other than LHPs considered for fulfilment of HPO, through procurement of Solar energy and Non-Solar energy:

Provided that such obligation to purchase renewable energy shall be inclusive of the purchases, if any, from Renewable Energy Sources already being made by the obligated entity concerned:

Provided further that on achievement of Solar RPO compliance as specified in aforesaid sub Regulation (1) to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess Non-Solar energy/Non-Solar REC purchased beyond Non-Solar RPO for that particular year:

Provided further that on achievement of Other Non-Solar RPO compliance as specified in aforesaid sub-Regulation (1) to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess Solar energy/Solar REC/eligible Hydro Energy purchased beyond Solar RPO or HPO for that particular year:

Provided further that, on achievement of HPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess Solar or Other Non-Solar energy consumed beyond specified Solar RPO or Other Non Solar RPO for that particular year.

Provided also that the Obligated Entities may purchase power from various Renewable Energy Sources or RECs or combination of both for any shortfall in meeting their total RPO targets for any financial year within three months from the date of completion of the relevant financial year.

5. OTHER CONDITIONS FOR COMPLIANCE

- (1) The power purchase from generating station(s) based on Renewable Energy Sources registered for issuance of REC under *CERC (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations 2010* as amended from time to time, shall not qualify for RPO of the Obligated Entities:

Provided that for power purchase from RE generator, the Obligated Entities will submit an under-taking to State Nodal Agency that renewable component of this power has not been claimed by the RE generators for issuance of REC under *CERC (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010* as amended from time to time.

- (2) The quantum of electricity generated by Net Metering consumers other than Obligated Entity eligible under *DERC (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014* as amended from time to time or under Delhi Solar Policy, 2016 as amended from time to time, shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation for the Distribution Licensee of the area.
- (3) Distribution Licensees shall procure 100% power generated from all the Waste-to- Energy plants in the State, in the ratio of their procurement of power from all sources, or as approved by the Commission from time to time.
- (4) The Renewable Energy procured by the Obligated Entity from Renewable Energy Generating Stations bundled with coal/lignite generating stations shall be considered towards compliance of RPO to the extent of power procured from such Renewable Energy Generating Station.
- (5) The Distribution Licensee shall submit its quarterly progress report to the Commission along with RPO compliance status of Open Access Consumers & Captive Users on the capacity addition, generation and purchase of electricity from Renewable Energy Sources & purchase of RECs and also upload the progress report on its website.

6. STATE NODAL AGENCY

- (1) The State Nodal Agency (SNA) shall discharge the following functions, namely -
 - (a) accreditation and recommendation of the renewable energy projects for registration under REC mechanism and shall act in accordance with the procedures/rules laid by Central Agency for discharge of its functions under the *Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010* as amended from time to time;
 - (b) develop suitable protocol for collection of information from various sources such as renewable energy generating companies, Obligated Entities, State Load Despatch Centre (SLDC) or any other agency on regular basis and compile such information to compute the compliance of RPO target by Obligated Entities;
 - (c) publish monthly statement of renewable energy procurement and RPO compliance by different Obligated Entities on a cumulative basis by 25th day of the next month on its website;
 - (d) submit quarterly progress report in respect of compliance of renewable purchase obligation by the Obligated Entities by 25th day of the next month. State Nodal Agency shall develop formats and get approved by the Commission within one month of issuance of these Regulations.
 - (e) discharge any other function as may be assigned by the Commission from time to time.
- (2) The State Nodal Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission from time to time.
- (3) The Commission may specify qualifying criteria based on technical and financial capability of an agency to be designated as State Nodal Agency.
- (4) The Commission may fix the remuneration and charges payable to the State Nodal Agency for discharge of its functions and the same shall be recovered from the accredited entities and the Obligated Entities other than Distribution Licensees.
- (5) If the Commission is satisfied that the State Nodal Agency is not able to discharge its functions

satisfactorily, it may by an Order, and after recording reasons in writing, designate another agency to function as State Nodal Agency, as it considers appropriate.

7. OPEN ACCESS CONSUMER(S):

- (1) All Open Access Consumers receiving electricity from Renewable Energy Sources shall be exempted from the Wheeling, Transmission, Cross Subsidy Surcharge and Additional Surcharge to the extent of quantum of RPO compliance:

Provided that the generators using Renewable Energy Sources shall provide certificate to Obligated Entities that no REC/ RPO claim for this power has been made.

Provided further that Quantum of RPO compliance only for computation of Open Access Charges shall be computed for non-obligated Open Access consumers.

- (2) Every Open Access Consumer shall submit necessary details to Distribution Licensee regarding total consumption of electricity and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly basis within 15 days from the date of notification of these Regulations:

Provided that an existing Open Access Consumer as on 1st April of a Financial Year, shall submit the projections for the relevant financial year by 31st March of the preceding Financial Year.

- (3) The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Open Access Consumer for the purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year:

Provided that the value of BG /FDR shall be the average of Floor and Forbearance price of respective sources based on the past three months:

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the Open Access Consumer within 7 days of receipt of projections from the Open Access Consumer.

- (4) The Open Access Consumer shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to Distribution Licensees before issuance of compliance report for completion of metering formalities:

Provided that existing Open Access Consumer on the date of applicability of these Regulations shall submit the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that if the Open Access Consumer is under Open Access on 1st April of Financial Year, the Open Access consumer shall submit the separate Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year by 30th April of the relevant Financial Year:

- (5) The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) shall be valid upto three months from the date of completion of relevant financial year.

- (6) The Open Access Consumer shall submit the details of the RPO compliance for reconciliation to the Distribution Licensee of its area within two (2) months from the date of completion of relevant financial year.

- (7) In case of part fulfillment or non-fulfillment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided that the Open Access Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency which shall certify part fulfilment or non fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is more than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is less than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

- (8) In case of fulfillment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall release the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of reconciliation of RPO compliance:

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to be released.

- (9) The Distribution Licensee shall purchase RECs within 30 days of receipt of reconciled statements from Open Access Consumers from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) and the balance amount, if any, realised through bill of Open Access Consumer.

8. CAPTIVE USER(S)

- (1) Every Captive User shall submit necessary details regarding total consumption of electricity from captive generating and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly basis within 15 days from the date of notification of these Regulations:

Provided that the applicant who declares the captive use during a financial year shall submit the projections within 15 days of the declaration of captive user.

Provided further that existing Captive User as on 1st April of a Financial Year, shall submit the projections for the relevant financial year by 31st March of the preceding Financial Year.

- (2) The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Captive User for the purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the relevant financial year:

Provided that the value of BG /FDR shall be the average of Floor and Forbearance price of respective sources based on the past three months:

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the Captive User within 7 days of receipt of projections from the Captive User.

- (3) The Captive User shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) by 30th April of the relevant Financial Year to the Distribution Licensee of its area: Provided that the Captive User on the date of applicability of these Regulations or who declares the captive use during a Financial Year, shall submit the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

- (4) The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) shall be valid upto three months from the date of completion of relevant financial year.

- (5) The Captive User shall submit the details of the RPO compliance for reconciliation to the Distribution Licensee of its area within two (2) months from the date of completion of relevant financial year.

- (6) In case of part fulfillment or non-fulfillment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided that the Captive Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency which shall certify part fulfilment or non fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is more than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is less than the amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

- (7) In case of fulfillment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution Licensee shall release the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of reconciliation of RPO compliance:

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to be released.

- (8) The Distribution Licensee shall purchase RECs within 30 days of receipt of reconciled statements from Captive Users from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) and the balance amount, if any, realised through bill of Captive Users.

9. DISTRIBUTION LICENSEE(S)

- (1) The cost incurred by the Distribution Licensee to meet its RPO target shall be allowed to be recovered in Aggregate Revenue Requirement (ARR) as per the provisions of the applicable Regulations:

Provided that for shortfall of units to meet RPO target, after physical procurement of power, the Distribution Licensees may be allowed REC cost at Floor price. However, if Floor price is zero, the REC cost may be allowed at average of the Floor price and Forbearance price, as determined by CERC, for such shortfall of units which shall be tried up subsequently.

- (2) Distribution Licensees shall submit necessary details regarding total sales of electricity to the consumers in its area and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO on annual basis within three months from the date of completion of relevant financial year to the State Nodal Agency and the Commission.
- (3) Distribution Licensee shall also submit necessary details regarding total sales of electricity to the consumers in its area and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO, compliance of RPO through BG/FDR etc. w.r.t. other Obligated Entities in their respective area of supply, on annual basis within three months from the date of completion of relevant financial year to the State Nodal Agency and the Commission.

10. TREATMENT OF SURPLUS/SHORTFALL FOR RPO COMPLIANCE

- (1) In case of genuine difficulty in complying with the targets Renewable Purchase Obligation because of non-availability of RECs or delay in COD of tied up Renewable Power Plants etc., the Obligated Entity shall file Petition before the Commission for carry forward of RPO compliance in subsequent year(s).

11. RENEWABLE ENERGY PRICING

- (1) A renewable energy project shall have an option of adopting either the tariff pricing structure or the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project.
- (2) The projects opting for tariff under sub Regulation (1), above, shall have to continue with the same tariff pricing structure till the period of validity of Power Purchase Agreement.
- (3) Renewable energy project shall exercise its choice for selection of appropriate pricing mechanism prior to execution of the Power Purchase Agreement with the Distribution Licensee or with Open Access Consumer, as the case may be.

12. PENALTY FOR NON COMPLIANCE OF RPO

- (1) Non-compliance of the RPO targets, other than HPO targets, by an Obligated Entity shall attract penalty at the rate of 10% of the weighted average Floor Price of Solar and Non- Solar Renewable Energy Certificate, as specified by Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for the relevant year, for quantum of shortfall in RPO. If, the Floor price as specified by CERC is zero for the year then the penalty shall be at the rate of 10% of the weighted average Forbearance Price of Solar and Non- Solar Renewable Energy, as determined by CERC, for quantum of shortfall in RPO.

Provided that the amount of penalty imposed on the Distribution Licensees due to non-compliance of the RPO targets shall be reduced from the ARR during True up of the relevant Financial Year in terms of the Regulation 124 of the *DERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017*.

Provided further that the amount of penalty to be levied on obligated Open Access consumers shall be computed for relevant year by SNA and communicated to Distribution Licensee with a copy to Commission. The Distribution Licensee shall bill such penal amount in the electricity bill of Open Access consumers.

Provided further that the penalty to be levied on remaining obligated entities will be computed for relevant year by SNA and the mechanism for its recovery will be dealt by the Commission on case to case basis.

PART 3**MISCELLANEOUS**

- 13. Power to Relax:** The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by a person.
- 14. Power to Amend:** The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provision of these Regulations.
- 15. Power to Remove Difficulties:**
- (1) In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may

by any general or special order, issue appropriate directions to any Obligated Entity or generating company, to take suitable action, not inconsistent with the provisions of the Act, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

- (2) Any Accredited and Obligated Entity may make an application to the Commission and seek suitable Orders to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

16. Repeal and Savings:

- (1) Save as otherwise provided in these Regulations, the *Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2012* shall stand repealed from the date of commencement of these Regulations.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these Regulations.
- (3) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
- (4) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- (5) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission in dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

MUKESH WADHWA, Secy, DERC